श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2017)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	
	अध्याय –एक प्रारम्भिक	
1	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	2
2	परिभाषाएं	2–4
	अध्याय–दो विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य	
3	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव	4–5
4	विश्वविद्यालय की स्थापना	5–6
5	राज्य किसी भी सांविधिक दायित्व के अधीन विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं	6
6	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना	6
7	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	6
8	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	6–9
9	विश्वविद्यालय मे सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी	9
10	राष्ट्रीय प्रत्यायन	9
	अध्याय–तीन विश्वविद्यालय के अधिकारी	
11	विश्वविद्यालय के अधिकारी	9
12	कुलाध्यक्ष	9–10
13	कुलाधिपति	10
14	कुलपति	10–11
15	प्रति–कुलपति	11
16	कुलसचिव	11
17	संकाय अध्यक्ष	11
18	वित्त अधिकारी	11
19	अन्य अधिकारीगण	11

अध्याय चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	11–12
21	व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियाँ	12
22	प्रबन्ध मण्डल	12–13
23	विद्या परिषद्	13
24	वित्त समिति	13
25	अन्य प्राधिकरण	13
26	रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होगा	13

अध्याय–पाँच
परिनियम और नियम

27	परिनियम	13–14
28	परिनियम कैसे बनायें जाएंगें	14
29	परिनियम में संशोधन करने की शक्ति	14
30	नियम	14–15
31	नियम कैसे बनाये जायेंगे	15
32	नियमों को संशोधित करने की शक्ति	15

अध्याय–छः
प्रकीर्ण

33	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध	15
34	कर्मचारियों की सेवा शर्त	15–16
35	अपील का अधिकार	16
36	भविष्य निधि एवं पेंशन	16
37	विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद	16
38	समितियों का गठन	16
39	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	16
40	सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के प्रति संरक्षण	16
41	संक्रमणकालीन प्रावधान	16–17
42	स्थायी विन्यास निधि	17
43	सामान्य निधि	17
44	विकास निधि	17
45	निधि का अनुरक्षण	17
46	वार्षिक प्रतिवेदन	17–18
47	खाते तथा लेखा–परीक्षा	18
48	विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की विधि	18
49	विश्वविद्यालय का विघटन	18–19
50	विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यय	19
51	कठिनाईयों का निराकरण	19

क्रम संख्या–26 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017 ई0

चैत्र 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 109 / XXXVI (3) / 2017 / 80(1) / 2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **''श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016''** पर दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2017)

आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी, नर्सिंग, प्रबन्धन पाठ्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ग्राम्य विकास, मानविकी, विधि, योग विज्ञान और उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध–कार्य से संबन्धित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्री गुरू राम राय मिशन शिक्षा सोसाईटी, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रायोजित श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय नामक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67 वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) **'प्राधिकारी'** से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) **'विद्या परिषद्'** से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) **'निकाय'** से विश्वविद्यालय की निकाय अभिप्रेत है;

(घ) **'व्यवस्थापक मंडल'** से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मंडल अभिप्रेत है;

(ड) **'प्रबन्ध मंडल'** से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मंडल अभिप्रेत है;

(च) **'पाठ्यक्रम मंडल'** से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मंडल अभिप्रेत है;

(छ) **'परीक्षा मंडल'** से विश्वविद्यालय का परीक्षा मंडल अभिप्रेत है;

(ज) **'परिसर'** से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;

(झ) **'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी'** से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति कुलपति', 'कुलसचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' एवं वित्त अधिकारी' अभिप्रेत है;

(ञ) **'संघटक महाविद्यालय'** से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधित कोई महाविद्यालय तथा संस्था अभिप्रेत है;

(ट) 'संकाय के डीन' से विश्वविद्यालय के संकाय का डीन अभिप्रेत है;

(ठ) 'विभाग' से विश्वविद्यालय का विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है। जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;

(ड) **'दूरस्थ शिक्षा पद्धति'** से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण (टेलीकॉस्टिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हैं;

(ढ) **'कर्मचारी'** से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या इसके किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित है,

(ण) **'संकाय'** से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(त) **'वित्त समिति'** से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(थ) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(द) **'विभागाध्यक्ष'** से विश्वविद्यालय का विभाग अथवा केन्द्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ध) **'स्थायी निवासी'** से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र है;

(न) **'विहित'** से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) **'प्रधानाचार्य/डीन'** से विश्वविद्यालय के महाविद्यालय का प्रधानाचार्य/डीन अभिप्रेत है;

(फ) **'प्रायोजित संस्था'** से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून अभिप्रेत है।

(ब) **'क्षेत्रीय केन्द्र'** से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया है;

(भ) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(म) **'अध्यादेश, परिनियम और नियमावली'** से क्रमशः विश्वविद्यालय के अध्यादेश, परिनियम व नियम अभिप्रेत है;

(य) 'सांविधिक परिषद्' से संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक परिषद् अभिप्रेत है;

(र) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है;

(ल) 'अध्यापक' से आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी संघटक में शिक्षण प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए सांविधिक परिषद् के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है,.

(व) 'यू0जी0सी0' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(श) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

(ष) 'कुलाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन, देहरादून को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सहित एक आवेदन पत्र श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के प्रस्ताव में निम्न विवरण दिये गए;

(क) श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून, का पूर्ण विवरण के साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रास्थिति, विस्तार और भूमि की उपलब्धता;

(ग) आगामी पाँच वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार;

(घ) संकायों की प्रकृति, आरम्भ किया जाने वाला पाठ्यक्रम तथा प्रस्तावित शोध कार्य;

(ड.) विश्वविद्यालय परिसर का विकास जैसे–भवन, उपस्कर तथा संरचनात्मक सुख–सुविधायें;

(च) आगामी पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय ;

(छ) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत एवं प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित व्यय ;

(ज) संसाधन जुटाने की योजना तथा उसकी पूंजीगत लागत और उन्हें चुकाने के तरीके;

(झ) आन्तरिक संसाधनों–विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क, परामर्श एवं विश्वविद्यालय के

उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय द्वारा आन्तरिक निधियों के सृजन की योजना;

(ञ) संस्था की लागत पर आने वाला व्यय, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों या छूटों की सीमा, निःशुल्कता और छात्रवृत्तियों तथा अप्रवासी भारतीयों एवं विदशों से आने वाले विद्यार्थियों से भिन्न दरों पर यदि कोई हो, लिये जाने वाले शुल्कों के स्वरूप का ब्यौरा,

(ट) श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन, देहरादून में उपलब्ध सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञता एवं अनुभव की अवधि तथा वित्तीय संसाधन,

(ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की चयन पद्धति; और

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व अन्य ऐसी शर्तों की, जिनकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा आपेक्षित हो, की प्राप्तिति।

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. (1) राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन, देहरादून ने श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए सभी मानकों, आवश्यकताओं व शर्तों को पूरा कर लिया है। अतः श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने नाम से वाद लाएगा और उस पद पर वाद लाया जाएगा।

(3) (क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय पांच वर्ष कि अवधि के बाद राज्य में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 फुट से ऊपर द्वितीय कैम्पस खोलने की कोई समय–सीमा नहीं होगी।

(ख) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय/संकाय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो जैसा कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यक हो, विश्वविद्यालय या तो उसके मुख्य परिसर से सटा हुआ या मुख्य परिसर से 25 पच्चीस) किमी० की परिधि में अल्प (स्प्लिट) परिसर स्थापित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत, निर्मित, व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि एवं अन्य चल–अचल सम्पतियाँ श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेगीं।

(5) विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि, भवन एवं अन्य सम्पतियों का उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए उन्हें अधिग्रहीत किया गया है, उपयोग नहीं किया जायेगा।

(6) विभिन्न विभागों/संकायों के संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के पास

उपलब्ध भूमि एवं भवन, सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

राज्य किसी भी सांविधिक दायित्व के अधीन विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं

5. विश्वविद्यालय स्वः वित्तपोषित होगा तथा किसी भी सांविधिक दायित्व के तहत राज्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार के अनुदान प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं होगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अनुदान को प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रित अन्य निकाय या निगमित द्वारा संचालित विषेश योजना के अन्तर्गत इस तरह के अनुदान की शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो। इससे विश्वविद्यालय के स्वः वित्तपोषित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6. विश्वविद्यालय में संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र और प्रशिक्षण व अनुसन्धान केन्द्र होंगे, किन्तु उसे अन्य किसी महाविद्यालय /संस्था को सम्बद्धता का विषेशाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7. जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे इस प्रकार हैं–

(क) अध्ययन और अनुसन्धान के पाठ्यक्रमों की स्थापना करना तथा ऐसी अध्ययन शाखाओं जैसे आयुर्विज्ञान, दन्त विज्ञान, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, योग विज्ञान, प्रबन्धन, ग्रामीण विकास, मानविकी, कानून और उच्च शिक्षा की अन्य शाखाओं जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) बड़े समूहों में संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययन समूहों आदि के माध्यम से अनुसंधान और अनुभवात्मक अधिगम माध्यम से प्राप्त किये गये ज्ञान की उन्नति और प्रसार द्वारा मानव जाति के लाभ के लिये प्रदान करना।

(ग) बाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं बाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना।

(घ) जैसा कि आवश्यक हो ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हों।

(ड) अनुसंधान की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा निरन्तर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम स्थापित करना।

(च) औद्योगिक तथा अन्य संस्थाओं को परामर्श उपलब्ध करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

8. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्–

(क) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, अनुरक्षण करना, एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय–समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षायें आयोजित करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टाऐं संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:

(एक) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(ग) परिनियमों में अभिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टाऐं प्रदान करना;

(घ) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पुरस्कार, छात्रावस्था, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित एवं प्रदान करना;

(ङ) समरूप संगठनों या व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना;

(च) शिक्षकों, अध्यापकों अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अभिविन्यास पाठ्यक्रम कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम संचालित करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलास्फी, डाक्टर ऑफ साईन्स की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु अपने विषयों में डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;

(ज) विशिष्ट समितियों के माध्यम से एवं विद्या परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय व अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;

(ञ) शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ट) विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) दूरस्थ एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना;

(ड) दूरस्थ शिक्षा परिषद की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;

(ढ) ऐसी फीस, बिल, बीजक की मांग करना और प्राप्त करना तथा प्रभार संग्रह करना जो यथाशक्ति, परिनियमों या नियमों द्वारा नियत किया जाये;

(ण) व्यवस्थापक मंडल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और प्राप्त करना;

(त) प्रायोजित संस्था की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा किसी चल, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना;

(थ) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्योत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;

(द) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास (हॉल) संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;

(ध) आवास का नियंत्रण करना, पर्यवेक्षण करना, समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य अनुशासन पर नियंत्रण रखना तथा आचार संहिता सहित ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(न) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योगों एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य और सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये;

(प) फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, वी0सी0डी0 और अन्य साफ्टवेयर इत्यादि के द्वारा शैक्षिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;

(फ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गई मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;

(ब) संविदा करना, उसका निष्पादन करना उसमें परिवर्तन करना या उसे समाप्त करना।

(भ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग करना;

(म) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में अपने नाम से वाद लाना और वाद दायर करना;

(य) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभव ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषांगिक हों या न हों;

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मूल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, संघटक महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और अनुसन्धान केन्द्रों को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुदानों के आवंटन एवं संवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय मे सभी वर्ग, जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा: परन्तु यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधान करने पर प्रतिबन्ध है:परन्तु और यह भी कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

10. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों से मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख) कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति–कुलपति;

(ङ) कुल सचिव;

(च) संकायाध्यक्ष;

(छ) वित्त अधिकारी; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष

12. (1) उत्तराखण्ड का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान होंगी, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मांगना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वह संतुष्ट हों कि कोई आदेश कार्यवृत या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम अथवा नियमों के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निंदेश जारी कर सकेगे, जिन्हें विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(4) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

कुलाधिपति

13. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजित संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से , कुलाध्यक्ष की पूर्व सहमति से की जायेगी जो संस्थापक संस्था का सदस्य होगा:

परन्तु यह कि संस्थापक संस्था सदस्यों से इतर व्यक्तियों से भी कुलाधिपति नियुक्त कर सकेगी।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायें।

(3) कुलाधिपति व्यवस्थापक मंडल का अध्यक्ष होगा।

कुलपति

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के नियम और शर्तों पर जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित तीन सदस्य, जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा संयोजक के रूप में नामित किया जाएगा;

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य विशिष्टाओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहाँ अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो

कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक् जाँच के उपरान्त कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जाँच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेंगे।

प्रति–कुलपति 15. प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें या कुलपति द्वारा प्रदत्त की जाये।

कुलसचिव 16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(3) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक, अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनकी कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(4) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर आपेक्षित हों।

(6) कुल सचिव प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा।

संकाय अध्यक्ष 17. संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

वित्त अधिकारी 18. वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अन्य अधिकारीगण 19. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगणों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियाँ व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी 20. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे अर्थात्:–

(क) व्यवस्थापक मण्डल;

(ख) प्रबन्ध मण्डल;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति, और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

व्यवस्थापक मण्डल और उसकी शक्तियाँ

21. (1) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलाधिपति – अध्यक्ष;

(ख) कुलपति – सदस्य–सचिव;

(ग) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन शिक्षाविद;

(घ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(ङ) प्रयोजित संस्था द्वारा नामित पाँच सदस्य;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक सदस्य;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन सदस्य।

(2) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण;

(ख) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनरावलोकन;

(घ) विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन;

(ङ) नए या अतिरिक्त परिनियमों व नियमों को बनाना, या पूर्व में बने परिनियमों व नियमों का संशोधन या निरसन;

(च) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

(छ) विश्वविद्यालय के खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्धन करना;

(ज) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन, और

(झ) ऐसे निर्णय एवं उपाय करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय पाए गए हों;

(3) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर रखेगा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

प्रबन्ध मण्डल

22. (1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति–कुलपति, यदि हो;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित पाँच सदस्य;

(घ) कुलाधिपति द्वारा चक्रीय आधार पर नामित संकायों के दो संकायाध्यक्ष;

(ङ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(च) कुलपति द्वारा चकीय आधार पर नामित दो प्राचार्य;

(छ) कुलसचिव गैर–सदस्य सचिव होगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।

विद्या परिषद् 23. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे;

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) कुलसचिव – सचिव;

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जाए;

(2) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों व नियमों के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) विद्या परिषद की शक्तियाँ एवं कृत्य वहीं होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

वित्त समिति 24. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे;–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) वित्त अधिकारी – सचिव;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन सदस्य;

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी, और इस अधिनियम के अधीन निर्मित परिनियमों व नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(3) वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जायें।

अन्य प्राधिकरण 25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जायें।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होगा 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी।

अध्याय–पाँच
परिनियम और नियम

परिनियम 27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत हैं:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य–सम्पादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रकिया जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है;

(ख) स्थायी विन्यास निधि और विकास निधि का संचालन;

(ग) कुलाधिपति की नियुक्ति व उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(घ) कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी, की नियुक्ति के नियम व शर्तें, उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य

(ङ.) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की नीति और सेवा शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों का निराकरण;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही;

(झ) विभागों और संकायों का सृजन, उत्सादन और उनकी पुनर्संरचना;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के सहयोग की रीति;

(ट) मानद उपाधियों को प्रदान करना;

(ठ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;

(ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या, ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया जिसमें उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

(ढ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(ण) पदों का सृजन और समापन करना;

(त) अन्य मामले जो विहित किए जाए।

परिनियम कैसे बनायें जाएंगें

28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गए प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के परिनियमों की प्राप्ति के दिनाँक के तीन माह के अन्दर अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में परिनियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने परिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

नियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत् हैं–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियाँ तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाली निकायों, परीक्षकों, अंतरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों (माडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें व रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विभिन्न पाठ्यकर्मों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय में छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु;

(ञ) अन्य सभी विषयों, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्रावधान किया जाए।

नियम कैसे बनाये जायेंगे

31. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियम बनाए जायेंगे, और इस प्रकार बनाए गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे जो कि नियमों की प्राप्ति के दिनाँक से दो माह के अन्दर, उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में नियमों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो, वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने नियमों को अनुमोदित कर दिया है।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति

32. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नए या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए उपबन्ध

33. (1) विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यकर्मों में प्रवेश हेतु 30% सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा भरी जा सकती हैं।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यकम में तय शुल्क में उप धारा (1) में वर्णित उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को 26% की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) समूह "ग" व "घ" श्रेणी के समस्त पद उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार भरे जायेंगे।

(4) उपरोक्त उपधारा (1) में वर्णित आरक्षित सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की समय–समय पर संशोधित/लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्त

34. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अंतर्गत की जायेगी जिसकी प्रति विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाएगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय के परिनियमों में विहित प्रकिया के अनुसार शासित होंगी।

(3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाए गए परिनियमों की प्रकिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जाएगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, या अन्यथा विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।

अपील का अधिकार

35. विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र आदि के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्राचार्य/डीन, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चिय के विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल को ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाए, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध मण्डल ऐसे विनिश्चय को जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि, उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

भविष्य निधि एवं पेंशन

36. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा योजना की व्यवस्था करेगा, जो वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद

37. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया, या उसका सदस्य होने का हकदार हैं तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

38. धारा 20 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी की समिति गठित करने की शक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी शक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है, सदस्य बना रहता।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के प्रति संरक्षण

40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गयी है, या की जाने के लिए आशयित है, संस्थित नहीं होगी।

संक्रमणकालीन प्रावधान

41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी:-

(क) प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति-कुलपति (यदि कोई है), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की

जाएगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्तअधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि 42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड रूपये 5 करोड़ की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी के रूप में स्थापित की जाएगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष की होगी, जिसका पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जाएगा।

सामान्य निधि 43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) सभी शुल्क; जो कि विश्वविद्यालयल द्वारा लिये जायेंगे;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किए गए समस्त अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत् किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित किए गए सभी अंशदान/दान;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्तक व्ययों के लिए किया जाएगा।

विकास निधि 44. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) विकास शुल्क जिसे छात्र पर प्रभारित किया जाये;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत् से प्राप्त समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किए गए समस्त अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिन्हें तत्समय प्रवृत् किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित किए गए सभी अंशदान/दान; और

(ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

निधि का अनुरक्षण 45. धारा 42, 43, और 44 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

वार्षिक प्रतिवेदन 46. (1) प्रबन्ध मण्डल के निर्देशन के अधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और इसे व्यवस्थापक मण्डल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) व्यवस्थापक मण्डल अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा।

(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को वर्ष की समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

खाते तथा लेखा–परीक्षा

47. (1) विश्वविद्यालय के खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जायेंगे।

(2) प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना–पत्र तैयार किये जायेंगे तथा किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए लेखों में प्रविष्टि की जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं की प्रतिवर्ष ऐसे लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी, जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया का सदस्य हो।

(4) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलना पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) व्यवस्थापक मण्डल द्वरा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जाएगा और व्यवस्थापक मण्डल उस पर अपनी संप्रेक्षण 31 दिसम्बर से पहले अभियुक्तियों के साथ प्रति वर्ष उसे कुलाध्यक्ष और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और लेखा परीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की विधि

48. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से विधिवत रखी गयी किसी पूँजी की कोई प्रविष्टि यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और समव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जाएगा, जैसे कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी हो, तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।

विश्वविद्यालय का विघटन

49. (1) श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन, देहरादून, अपने संविधान या निगमन को नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह का लिखित नोटिस देगा।

(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान